न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 165/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नाहरसिंह पुत्र जयराम जाति जाट निवासी रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :–
1. श्री दिनेश हेडा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 6-3-20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 30/2018 सरकार बनाम नाहरसिंह में निर्णय दिनांक 02.07.18 के तहत मौजा रूण के खसरा नं. 1047 रकबा 3 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 9.7.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.07.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 30/18 सरकार बनाम नाहरसिंह मे निर्णय दिनांक 02.07.18 की फोटोप्रति, उक्त प्रकरण के फर्द अहकाम की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 10.11.99, 20.02.13, 17.12.15, 6.9.17 की फोटोप्रतियां, टी.पी. रसीद क्रमांक 41, 40 व 46 की फोटोप्रति तथा खसरा परिवर्तित निर्धारण प्रपत्र ग्राम रूण की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(II)–पटवार हल्का रूण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे पटवार हल्का ने अपीलांट का कब्जा संवत 2075 के अतिरिक्त पिछले वर्ष संवत 2074 मे अपीलांट को बेदखल करने का लिखा है, किन्तु इस संबंध मे किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफस, गवाहान के बयान व अन्य किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई और बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व पूर्व मे बेदखल करने की स्थिति को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साबित मानकर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्डादेश से दण्डित करने का आदेश जैर अपील पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी से पूर्व अपीलांट का अतिक्रमी के रूप मे होना आवश्यक था, उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, दिनांक 18.06.18 को अपीलांट को साक्ष्य, सबूत का अवसर देकर पत्रावली दिनांक 28.06.18 को नियत की गई और उसके बाद पत्रावली दिनांक 02.07.18 को नियत की गई। उक्त तिथी पर अपीलांट जब गया, तब अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जबकि अपीलांट को युक्तियुक्त रूप से उसके हितो को देखते हुए न्याय हित मे साक्ष्य,

अपर कलक्टर, नागौर

सबूत व जवाबदेही के लिये पर्याप्त समय दिया जाना न्यायोचित था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र औपचारिकता पूर्ण तरीके से अपीलांट की उपस्थिति के आधार मात्र से ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, इस प्रकार उक्त निर्णय जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना करते हुए एकपक्षीय रूप से पारित निर्णय है, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के कथनो व रिपोर्ट की तुष्टि करने का प्रयास तक नही किया गया, केवलमात्र पटवार हल्का के अपुष्ट कथनो व रिपोर्ट को गलत प्रकार से आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट का उक्त भूमि पर पिछले पचास वर्षो से कब्जा काश्त लगातार जारी रहा है तथा अपीलांट ने गै.मु. मगरा की इस कठोर भूमि को अपनी मेहनत व पूंजी से काश्त योग्य बनाया है एवं इस पर अपीलांट का विधि अनुसार कब्जा चला आ रहा है एवं लगातार पुराना कब्जा होने से अपीलांट का मामला पूर्णतया नियमन योग्य मामला है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए केवलमात्र पटवार हल्का रूण के आवेदन के आधार पर अपीलांट के विरूद्व उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–खसरा नं. 1047 गै.मु. मगरे की भूमि है, जो किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार दिये जाने से प्रतिबंधित भूमि नही है एवं उक्त भूमि नियमन योग्य भूमि है अपीलांट एक गरीब काश्तकार है तथा अपीलांट ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी व अधिकांश आयु इस अनउपजाउ भूमि पर मेहनत करके इसको काश्त योग्य बनाया तथा इस संबंध मे अपीलांट के पक्ष मे टीपी रसीदे भी जारी की हुई है। जिससे भी अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। इसके बावजूद भी पटवार हल्का के द्वारा संवत 2075 मे और संवत 2074 मे अतिक्रमण करने का झूठा आधार बनाकर उक्त आवेदन पेश किया है। जिससे भी उक्त निर्णय जिस आवेदन के आधार पर पारित हुआ है, उस आवेदन मे भी अपूर्ण व मिथ्या तथ्य अंकित होने से इस आधार पर पारित निर्णय भी खारिज होने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रूण में स्थित गै. मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रूण के खसरा नंबर 1047 रकबा 3 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित भी हुआ है। इससे पूर्व प्रकरण 232/2017 मे अपीलांट को आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित हुए है। जिस पर दिनांक 08.10.2017 को भौतिक रूप से बेदखली किया जाना फर्द बेदखली दिनांक 08.10.17 से साबित है। इससे पश्चात्वृति अतिक्रमण भी साबित है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर